न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 50/2017 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण पिता स्वर्गीय कन्ना जी गमेती निवासी भुवाणा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री रूपलाल उर्फ रूपा पिता स्वर्गीय कन्ना जी गमेती निवासी भुवाणा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री अम्बालाल पिता स्वर्गीय कन्ना जी गमेती निवासी भुवाणा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर
2. श्रीमान् तहसीलदार बड़गांव जिला उदयपुर
3. नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जरिय सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) गिर्वा दिनांक 11–05–2017
प्रकरण संख्या 34/2015

———/———

उपस्थित :–1– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या–1, 2
3– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3

——————/——————

निर्णय **दिनांक 31–10–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रूपनगर में साबिक आराजी नंबर 1888/4 रकबा

3 बीघा 2 बिस्वा एवं आराजी नंबर 1927/6 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा प्रार्थीगण के पूर्वज कूका के नाम दर्ज थी। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या–1 के सजरे अनुरूप प्रार्थीगण कूका के उत्तराधिकारी है। विवादित साबिक आराजी नंबर के नये नंबर आराजी नंबर 3837 रकबा 0.24 हैक्टर, 3838 रकबा 0.23 हैक्टर, 3839 रकबा 0.19 हैक्टर, 3840 रकबा 0.01 हैक्टर, 3841 रकबा 0.05 हैक्टर, 3842 रकबा 0101 एवं 3843 रकबा 0.35 हैक्टर भूमि थी। जिसके आराजी नंबर 3843 रकबा 0.35 हैक्टर भूमि त्रुटिपूर्ण बिलानाम दर्ज कर दी। प्रार्थी आदिवासी, अशिक्षित, व ग्रामीण है। इसलिए इन्हें रेकर्ड की जानकारी नहीं हो पाई, जबकि कब्जा उनका है तथा धारा–63(4) के अनुसार भी वे खातेदार बन चुके है। भूमि के आस–पास 100 फीट रोड़ निकलकर भूमियों का व्यवसायिक उपयोग हो रहा है। विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या 3 नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज कर दी गई है। जिससे वे इस भूमि में बेज़ा दखलन्दाजी करते है व किसी को हस्तान्तरण भी कर सकते है। अतएव उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक दिलवाई जाय।

विपक्षी संख्या–3 नगर विकास प्रन्यास द्वारा खण्डन का जवाब देकर निवेदन किया कि आराजी नंबर 3843 कभी प्रार्थी के खातेदारी में नहीं रही है तथा न ही इसका कब्जा है। भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज होकर सड़क सीमा वाले व्यक्तियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। भूमि प्रारम्भ से ही बिलानाम होकर, नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज होकर उसका ही कब्जा रहा है। **विशेष उत्तर** में निवेदन किया कि उक्त दोनों आराजी नंबरों का कूल क्षैत्रफल 6 बीघा 4 बिस्वा होता है, जिसके हाल आराजी नंबर 3820 तथा आराजी नंबर 3837 से 3842 बने है। पुराने 6 बीघा 4 बिस्वा का रूपान्तरण 1.34 हैक्टर होता है, जबकि आराजी नंबर 3820 तथा 3837 से 3842 का रकबा 1.55 हैक्टर होता है। तद्नुसार भी प्रार्थी को 0.21 हैक्टर भूमि अतिरिक्त मिल चुकी है। सारणी में वर्णित अनुसार आराजी नंबर 3820 व 3837 से 3842 का मुआवजा अथवा 90–बी की कार्यवाही की जा चुकी है। अनावश्यक भूमि हड़पने की गरज से आवेदन पेश किया है।

प्रार्थी द्वारा उक्त जवाब का जवाबूल जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी नंबर 3843 मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक आराजी 1888/4 से मिलना स्पष्ट है। भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज है। अन्य व्यक्तियों का आवंटन भी विधि विरूद्ध है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 11–5–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–5–2017 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3 की और से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों मे लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अपीलान्ट आराजी नंबर 3843 साबिक नंबर 1888/4 पर काबिज है। वर्तमान आराजी नंबर 3843 रकबा 0.35 हैक्टर, साबिक आराजी नंबर 1888/4 से बनना स्पष्ट है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज किया है। जबकि राजस्व अधिकारियों की त्रुटि सुस्पष्ट है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण होने के बावजूद उसे अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दिये जाने से उसके हक अधिकार व्यापक रूप से प्रभावित हो रहे है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रार्थी के प्रथम दृष्टया प्रकरण के सम्बन्ध में यह सुस्पष्ट होता है कि कूका के नाम साबिक आराजी नंबर 1888/4 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा व आराजी नंबर 1927/6 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कूल किता–2 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि दर्ज हुई। मिलान क्षैत्रफल अनुसार हालांकि हाल आराजी नंबर 3820 तथा 3837 से 3842 कूल किता–7

रकबा 1.55 हैक्टर प्रार्थी के नाम दर्ज हुई, जो कि साबिक 6 बीघा 4 बिस्वा का 1.34 हैक्टर के स्थान पर 1.55 हैक्टर भूमि प्रार्थी अपीलान्ट को प्राप्त हो चुकी है। तद्नुसार वर्तमान सातों आराजीयात साबिक दोनों नंबरों से ही बनी है। स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को साबिक आराजीयात का रूपान्तरित रकबा 1.34 हैक्टर के स्थान पर 1.55 हैक्टर भूमि प्राप्त हो चुकी है। यानि 1.55–1.34=0.21 हैक्टर भूमि उसे ज्यादा प्राप्त हुई है। प्रार्थी अब आराजी नंबर 1843 रकबा 0.35 हैक्टर की मिलान क्षैत्रफल के आधार पर और मांग करता है, जिससे साबिक के मुकाबले उसे 0.21+0.35=0.56 हैक्टर भूमि ज्यादा प्राप्त होने का वह स्वयं को अधिकारी मानता है। जिसका प्रथम दृष्टया कोई औचित्य नहीं है, मिलान क्षैत्रफल अधिकार अभिलेख नहीं होता, प्रार्थी अपीलान्ट को साबिक के मुकाबले 0.56 हैक्टर भूमि अधिक दिए जाने का कोई प्रथम दृष्टया आधार नहीं है। भूमि प्रारम्भ से ही बिलानाम दर्ज रही है। प्रार्थी का इस भूमि पर कब्जा होने की भी कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता एवं तद्नुसार सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी उसके पक्ष में नहीं रहते एवं तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने में कोई तथ्यात्मक एंव विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11–5–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31–10–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर